Form No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)

गुरमेलसिंह पुत्र मितसिंह जाति जटसिख निवासी चक 1 एल.एल.पी. तहसील सूरतगढ़

किस्म मुकदमाः– 136 भू–राजस्व अधिनियम प्रकरण संख्याः 28 सन् 2020

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
19.2.2020	आज यह पत्रावली प्रार्थी द्वारा जरिये वकील पेश करने पर पेशी में ली गई। बहस सुनी गई। योग्य अधिवक्ता प्रार्थी ने बताया कि चक 11 एस.जी.आर तहसील सूरतगढ़ की जमाबन्दी सम्वत 2067– 2070 के खाता संख्या 71/67 में पत्थर नम्बर 24/315 मु.न. 90 में 1.3900 हैक्टेयर नहरी व पत्थर नम्बर 25/315 मु.न. 91 में 6.325 हैक्टेयर नहरी बारानी मय खाला रास्ता कुल खाता 7.7150 हैक्टेयर नहरी बारानी मय खाला रास्ता खातेदारी भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड थी जिसमें प्रार्थी का अपने भाईयो जरनैलसिंह, सुखदेवसिंह पुत्रगण मितसिंह के साथ संयुक्त रूप से हिस्सा 2.448 हैक्टेयर दर्ज था जो जमाबन्दी सम्वत 2067 ता 2070 की प्रमाणित प्रतिलिपि से साबित है। इस प्रकार प्रार्थी उक्त वर्णित 2.448 हैक्टेयर भूमि में 1/3 हिस्सा का खातेदार काश्तकार हैं तथा इतनी ही भूमि प्रार्थी के कब्जा काश्त में चली आ रही है। जमाबन्दी सम्वत 2071–2073 की जमाबन्दी खाता संख्या 5/71 में प्रार्थी का नाम सहबन से छुट गया तथा उक्त वर्णित 2.448 हैक्टेयर हिस्सा में केवल प्रार्थी के भाईयो जरनैलसिंह, सुखदेवसिंह दोनो का ही नाम दर्ज कर दिया गया तथा प्रार्थी का नाम दर्ज नहीं किया गया जो दर्ज किया जाकर आवश्यक दुरूस्ती किये जाने योग्य है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन हैं कि प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वर्तमान जमाबन्दी सम्वत 2071–2073 में आवश्यक दुरूस्ती करते हुए प्रार्थी का नाम दर्ज करते हुए जरनैलसिंह – सुखदेवसिंह पि. मितसिंह ब.हि.ब 2.448 हैक्टेयर के स्थान पर गुरमेलसिंह – जरनैलसिंह – सुखदेवसिंह पि. मितसिंह ब.हि.ब 2.448 हैक्टेयर दर्ज कर आवश्यक दुरूस्ती किये जाने का आदेश तहसीलदार सूरतगढ़ को दिया जावे। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी की बहस पर मनन किया। पत्रावली मे उपलब्ध दस्तावेजो व रिपोर्ट पटवारी व तहसीलदार का अध्ययन किया। पटवारी रिपोर्ट अनुसार जमाबन्दी सम्वत 2067–70 में प्रार्थी गुरमेलसिंह का नाम दर्ज है परन्तु जमाबन्दी सम्वत 2071–74 में लिपिकीय त्रूटिवंश गुरमेलसिंह का नाम रह गया है। जमाबन्दी में न्यायालय हाजा का स्थगन आदेश क्रमांक राजस्व/T.I./18/662–67 दिनांक 15.02.2018 द्वारा जरनैलसिंह व मनजीतकौर के हिस्सा की भूमि पर मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने का जारी हैं। चूंकि लिपिकीय त्रूटि से प्रार्थी का नाम छूट गया है इसलिए प्रार्थी का नाम बतौर खातेदार दर्ज किया जाना आवश्यक हैं। लिपिकीय त्रूटि से किसी के खातेदारी अधिकार समाप्त नहीं किये जा सकते है। इस न्यायालय द्वारा जारी स्थगन आदेश जरनैलसिंह व मनजीत कौर के विरूद्ध हैं इसलिए इस प्रकरण पर उक्त स्थगन आदेश का प्रभाव नहीं पड़ेगा। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी का स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा चक 11 एस.जी.आर तहसील सूरतगढ़ की जमाबन्दी सम्वत 2071– 2074 के खाता संख्या 5 में पत्थर नम्बर 24/315 में 1.3900 हैक्टेयर व पत्थर नम्बर 25/315 में 6.325 हैक्टेयर कुल खाता 7.7150 हैक्टेयर नहरी बारानी मय खाला रास्ता खातेदारी भूमि में दर्ज जरनैलसिंह – सुखदेवसिंह पि. मितसिंह ब.हि.ब 2.448 हैक्टेयर के स्थान पर **गुरमेलसिंह–जरनैलसिंह–सुखदेवसिंह पि. मितसिंह ब.हि.ब 2.448 हैक्टेयर** दर्ज कर दुरूस्ती करने के आदेश दिये जाते है। जमाबन्दी की अन्य समस्त प्रविष्टियां पूर्ववत रहेगी। इस न्यायालय द्वारा जारी स्थगन आदेश क्रमांक राजस्व/T.I./18/662–67 दिनांक 15.02.2018 का इस आदेश पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तहसीलदार सूरतगढ़ के नाम तहरीर जारी हो। आदेश सुनाया गया। उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़	

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj Kumar Meena
Date: 2020.02.28 12:15:37 IST
Reason: SelfAttested